न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 63/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. किसनाराम पुत्र सोनाराम विश्नोई निवासी– थाटानगर, सारणों की ढाणी, तहसील लोहावट, जोधपुर।		1– तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर 2– सरपंच ग्राम पंचायत, भजन नगर, तहसील लोहावट, जोधपुर 3– पटवारी, जम्भेश्वर नगर, तहसील लोहावट 4– किशनाराम पुत्र सौभागराम जाति विश्नोई निवासी– थाटानगर,सारणों की ढाणी,तहसील लोहावट, जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा आदेश क्रमांक प्र.ग.स. 2021/26 दिनांक 02.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम पंचायत भजन नगर में पारित किया गया

उपस्थितिः–

1– श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1, 3 की ओर से ।
3– श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2, 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 12–08–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार लोहावट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा थाटानगर मे चालु सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये परंतु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबंदी एवं नक्शे मे अंकन नही है। उक्त आवागमन के रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाने का प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी लोहावट के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.10.21 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए मौजा समराथनगर मे स्थित विभिन्न खसरा नंबरान में से चल रहे रास्ते की भूमि रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश दिनांक 02.10.2021 से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के द्वारा ग्राम थाटानगर, तहसील लोहावट के ख0सं0 1942 रकबा 7.7942 हैक्टर जो अपीलार्थी की भूमि है, में से 0.1942 हैक्टर भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे

गया है। उक्त अपीलाधीन आदेश अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं पक्ष रखने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा कार्यवाही करते हुए पारित किया गया है। उक्त वर्णित भूमि में से मौके पर कोई कदीमी रास्ता नहीं है और ना ही रास्ते के उपयोग में आ रही है तथा अपीलान्टस राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज है। किसी खातेदारी की भूमि में से विधि विरूद्ध कोई नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी कई सहखातेदार है जिनकी भूमि से रास्ता घोषित किया गया है। अन्य सहखातेदार 1/2 हिस्से में मंगलाराम पुत्र गोरखाराम भी जिनका देहान्त कई वर्ष पूर्व हो चुका है। अपीलाधीन आदेश में वर्णित कई खसरान भूमि के खातेदार फौत भी हो चुके है। उनके कायम मुकाम को पत्रावली पर नहीं लिया गया, न ही उनके वारिसान के नाम नामा0 हुआ है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त होने योग्य है। ख0सं0 1941 में बनी हुई ढाणियां में पहले से ही रास्ता है। अन्य नया रास्ता निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी।उक्त खसरे के अलावा अन्य कई खसरों में एक ही समान प्रकरण मानकर गलत आदेश जारी किये गये। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष झूठे सहमति पत्र में देणोक रोड से सडक जोडने का गलत उल्लेख किया है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार कार्यालय द्वारा फर्जी तरीकों से फर्जी दस्तावेज तैयार किये एवं सरपंच द्वारा अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिये गुमराह कर आदेश पारित करवाया। उक्त आदेश जारी करने से पूर्व किसी खातेदार /सहखातेदार की सहमति नहीं ली गई। तहसीलदार के द्वारा भी मौके पर आकर कोई जॉच नहीं की गई है। उक्त भूमि का भूमि विभाजन/बंटवाडा भी नहीं किया हुआ है न ही रेकर्ड में तरमीम है। न ही आदेश में किसका हिस्सा कहां आयेगा और कौनसी दिशा में आयेगा, बाई मिटस एवं बाउण्ड के तहत बंटवाडा भी नहीं हुआ। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर अपीलान्टस की ओर से यह अपील पेश की गई है। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.10.2021 को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार लोहावट ने उनके अधीन ऐसे कदीमी/चालू रास्ते जो खातेदारी खेतो की भूमि मे से मौके पर चालू है तथा आमजन के उपयोग मे आ रहा है परंतु उनका रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, ऐसे रास्तो को चिन्हित कर, राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे दर्ज करवाने बाबत जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.10.2021 को पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 2, 4 ने प्रत्युतर में यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय

वादग्रस्त भूमि में दोनों तरफ तरमीम की गई जिससे सहमत नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में किशनाराम की सहमति से दिनांक 02.10.2021 के आदेश में संशोधन किया जाये।

वकील रेस्पो0 संख्या 2, 4 ने यह कथन किया कि ग्राम थाटानगर के ख0सं0 1942 में नजरी नक्शा में पूर्व दिशा में रास्ते की तरमीम यथावत रखी जावे एवं तथा दक्षिण दिशा की तरमीम हटाई जावे, शेष यथावत रखा जाये। इसी अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण करें। वकील रेस्पो0 संख्या 2, 4 ने प्रत्युतर में यह भी कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार लोहावट ने उनके अधीन ऐसे कदीमी/चालू रास्ते जो खातेदारी खेतो की भूमि मे से मौके पर चालू है तथा आमजन के उपयोग मे आ रहा है परंतु उनका रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, ऐसे रास्तो को चिन्हित कर, राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे दर्ज करवाने बाबत दिये गये निर्देशों के तहत ही तहसीलदार लोहावट की ओर से पेश प्रकरण में नियमानुसार अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। अपीलाधीन आदेश से अन्य किसी पक्षकार की आपत्ति पत्रावली पर नहीं आई है। अतः अपीलान्टस की अपील खारिज की जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा तहसीलदार लोहावट के प्रार्थना पत्र अनुसार दिनांक 02.10.2021 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो कि व्यापक जनहित में किया जाना प्रतीत होता है। अपीलार्थी का प्रस्तुत अपील में मुख्य कथन है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.10.2021 में आंशिक संशोधन किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में काश्तकारों में हुई सहमति के मध्यनजर, पक्षकारान की सुनवाई कर, वादग्रसत भूमि की मौका जॉच करवाने के पश्चात प्रकरण में पुनः संशोधित निर्णय पारित किये जाने की कार्यवाही करें। किसी भी पक्ष द्वारा कदीमी रास्ते को बन्द नहीं किया

... 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।